न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 27 / 2020 राजस्व अपील

1. उमराव पुत्र श्री पूरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 22.01.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम उमराव मु. नं. 20 / 2020 अन्तर्गत धारा 91 राज.लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 31.08.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने सम्वत 2076 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय के आराजी खसरा नं. 59 रकबा 0.50 है. भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट की बिना विधिवत तामील हुए बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर दिनांक 22.01.2020 को अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.01.2020 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ है इसलिये निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नही देकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने कौनसी फसल काश्त की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया है। अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 59 रकबा 0.50 है. भूमि पर सम्वत 2076 में कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना, मौके पर उक्त आराजीयात खाली होना एवं अपीलान्ट द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त करते हुए निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2076 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 59 रकबा 0.50 है. पर चना की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 22.01.2020 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 59 रकबा 0.50 है. पर सम्वत 2076 में कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना, मौके पर उक्त आराजीयात पूर्ण रूप से खाली होना एवं अपीलान्ट द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त करते हुए निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय के आराजी भूमि खसरा नं0. 59 रकबा 0.50 है. पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा
अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official